न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 67/2020

1 दयाराम पुत्र चन्द्राराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अंकित कुमार पुत्र कमल कुमार।
2 कमल कुमार पुत्र दयाराम।
3 श्रीराम पुत्र दयाराम।
4 शिशपाल पुत्र दयाराम।
5 सुमन पुत्री दयाराम।
6 सुलोचना पुत्री दयाराम।
7 सरिता पुत्री दयाराम।
8 कृष्णा पुत्री कमल कुमार।
9 अभिलाषा पुत्री कमल कुमार।
10 अनुराधा पुत्री कमल कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का चूड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मुकदमा नम्बर 43/2020 उनवानी अंकित कुमार बनाम दयाराम आदि दिनांकित 19.06.2020 जिसे दिनांक 18.08.2020 को भी बहाल रखा गया।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 43/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06.2020 को एक पक्षीय रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1160 रकबा 1.83 हैक्टेयर वाके ग्राम चूडी मियांन अपीलांट की स्वअर्जित है विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी है। स्वअर्जित भूमि पर स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का आदेश नोन स्पीकिंग है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2020 को विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है एवं आगामी तिथि 18.08.2020 नियत की गई है। दिनांक 18.08.2020 को आगामी तिथि 06.10.2020 नियत की गई है। इसी मध्य दिनांक 09.09.2020 को यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है न ही अन्य चाराजोही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील पोषणीय नही मानी जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नही की गई है तथा न ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित अवलोकन ही किया गया है। अत प्रकरण निर्देशो के साथ विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब प्राप्त कर इस निर्णय के एक माह के भीतर उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर